

04-10-17

हाजी लियाकत विरुद्ध रामरतन
वादी अनुपस्थित।
प्रतिवादीगण अनु०।

प्रकरण आवेदन पत्र के जबाब एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु
नियत है।

प्रकरण में बार बार पुकार लगवाए जाने पर न तो वादी न
ही प्रतिवादीगण और न ही उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। इस
समय न्यायालय की घड़ी में 4:45 बजे बजे हैं।

प्रकरण वर्ष 1985 से संस्थित होकर प्राचीनतम प्रकरण की
श्रेणी में आता है जिसमें कोई पक्षकार रुचि नहीं ले रहा है और
आज प्रकरण में उपस्थित भी नहीं हैं। ऐसे में प्रकरण को लंबित रखे
जाने का कोई कारण व औचित्य नहीं है। अतः वाद अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है।

व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में
अभिलेखागार भेजा जावे।

(Amit Kumar Gupta)

Civil judge class-1,
Gohad dist. Bhind M.P.